

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, (मध्य क्षेत्र)  
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ

चत्रांक- 1098सी0जेड0 / 4सी0जेड0(पे0पं0) / 2015.

दिनांक- २६/८/१५

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

अधीक्षण अभियन्ता, उन्नाव वृत्त, लो०नि०वि०, उन्नाव द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर क्षेत्रीय प्रबन्धक (रिटेल) कानपुर भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि�० का पत्र बावत खसरा नं०-659 ग्राम कुरिया तहसील व जिला-हरदोई पर एमएस/एचएसडी रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्न प्रतिबन्धों के साथ निर्गत किया जाता है :-

1. प्रस्तावित आउटलेट पलिया-लखनऊ मार्ग (राज्य मार्ग सं०-25) पर किमी० 157.00 (चैनेज 156.466 से 156.501) में मार्ग की मध्य रेखा से 22.86 मी० की दूरी पर बॉर्डी ओर पक्का निर्माण कराया जाय।
2. पेट्रोल/डीजल पम्प का लेविल मार्ग के लेविल से कम से कम 15 सेमी० नीचा तथा सर्विस एरिया का ढाल कम से कम 02 प्रतिशत ढाल ड्रेन की ओर रखा जाय, ताकि पानी का बहाव मार्ग पर किसी भी दशा में नहीं होना चाहिए।
3. पेट्रोल/डीजल पम्प एवं विभागीय भूमि के बीच पक्की ड्रेन बनाई जाय तथा उसे लोहे की ग्रेडिंग से ढका जाय, ताकि वाहनों के आवागमन में असुविधा न हो और आउटलेट का पानी नाली के द्वारा मुख्य ड्रेन में जा सकें।
4. सड़क से पेट्रोल/डीजल पम्प तक पहुँचने हेतु एप्रोच रोड पर कम से कम 01 मीटर व्यास की एन०पी०-३ ह्यूम पाईप/आर०सी०सी० पुलिया का निर्माण कम्पनी/मालिक द्वारा अपने व्यय से कराया जाय।
5. ड्रेनेज हेतु पेट्रोल/डीजल पम्प/सर्विस एरिया का ढाल कम से कम 02 प्रतिशत ड्रेन की ओर रखा जाय।
6. पेट्रोल/डीजल पम्प पर लगाये जाने वाले साइनेज बफर स्ट्रिप क्षेत्र में जमीन से कम से कम 03 मीटर ऊपर रखा जाय। पम्प के साइनेज के अतिरिक्त कोई स्ट्रक्चर अथवा होर्डिंग लो०नि०वि० की जमीन पर नहीं खड़ा किया जाय।
7. लोक निर्माण विभाग की स्थाई भूमि पर कोई भी निर्माण एवं साईन बोर्ड लगाना अनुमन्य नहीं होगा।
8. बफर स्ट्रिप कम से कम 12 मीटर लम्बी व 03 मीटर चौड़ी तथा प्रवेश एवं निकासी गेट कम से कम 09 मीटर चौड़े होंगे।
9. बफर स्ट्रिप के बाहरी सिरे से फ्यूल फिलिंग पम्प की दूरी 07 मीटर से कम नहीं होगी।
10. निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय में कोई विवाद विचाराधीन है, तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जाय।
11. भूमि स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से होना चाहिए। इस सम्बन्ध में लो०नि०वि० का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
12. भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि�० के समस्त निर्देशों का पालन एवं अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०, हरदोई द्वारा ब्लू प्रिन्ट पर उल्लिखित अनुबन्धों का भी पालन करना अनिवार्य होगा।
13. आईआर०सी०-12-1983 में दी गई शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
14. जब भी मार्ग चौड़ीकरण हेतु भूमि वांछित होगी, तो भूमि चौड़ीकरण हेतु उपलब्ध करा दी जायेगी और पम्प मालिक को अपने व्यय पर वांछित निर्माण हटाना होगा।
15. भारत सरकार सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के परिपत्र सं०-आर०डब्लू०/एन०एच०-33023/19/99-डी०ओ०-III, दि० 24.07.13 द्वारा जारी निर्देशानुसार आवश्यक धनराशि एच०डी०एफ०सी० बैंक, हरदोई का डी०डी० सं०-663998, दि० 22.07.2015 रु० 2,20,000.00 जो निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०, हरदोई के नाम से जमा है।

उपरोक्त अनुमति अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०, हरदोई का पत्र सं०-1718/19एम०जी०/2015, दि० 19.08.2015 एवं अधीक्षण अभियन्ता, उन्नाव वृत्त, लो०नि०वि०, उन्नाव का पत्र सं०-3939सी०/26सी०-उन्नाव वृत्त/2015, दि० 21-08-2015 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, हरदोई।
2. संलग्नक-ड्राइंग एक प्रति में।
3. अधीक्षण अभियन्ता, उन्नाव वृत्त, लो०नि०वि०, उन्नाव के पत्र सं०-3939सी०/26सी०-उन्नाव वृत्त/2015, दि० 21-08-2015 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०, हरदोई के पत्र सं०-1718/19एम०जी०/20145, दि० 19.08.2015 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(वी०के० सिंह)  
मुख्य अभियन्ता, (म०क्षे०)  
लो०नि०वि०, लखनऊ

मुख्य अभियन्ता, (म०क्षे०)  
लो०नि०वि०, लखनऊ